# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

## वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 की उत्तरपुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल **दिनांक 29.03.2026** को प्रकाशित किया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हों, तो अपने उस विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका के स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की वेबसाईट **matric.biharboardscrutiny.com अथवा https://biharboardonline.com पर दिनांक 01.04.2026 से 07.04.2026 तक की अवधि में रु0 120/– (एक सौ बीस रुपये मात्र) प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।**

**2. ऑनलाईन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया :–**

**(I)** उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु समिति की वेबसाईट **matric.biharboardscrutiny.com अथवा https://biharboardonline.com** पर "Apply for scrutiny (Annual Secondary Examination 2026)" लिंक पर क्लिक कर परीक्षार्थी अपना रौल कोड, रौल नम्बर एवं जन्म तिथि (उदाहरण के तौर पर 52002–26000125–27–05–2010) अंकित करते हुए अपना पासवर्ड Create कर रजिस्टर करेंगे। इस पासवर्ड को विद्यार्थी भविष्य में अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे।

**(II)** रौल कोड, रौल नम्बर एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए Login करेंगे। इसके उपरांत Application form For Scrutiny प्रदर्शित होगा, जिसमें विद्यार्थी का सभी विवरण विषय सहित उपलब्ध रहेगा।

**(III)** जिस विषय/विषयों में विद्यार्थी को उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना हो, वे उस विषय/विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स के अन्दर (✓) मार्क करेंगे।

**(iv)** तत्पश्चात् Fee Payment के लिए पेज पर उपलब्ध Fee payment button (Make Payment) को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाईन भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात् समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**3. समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत स्क्रूटनी निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित होगी :–**

- यदि उत्तरपुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के अंक मुख पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- यदि कोई प्रश्न या उसके खण्ड का प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है, तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जायेगा।
- स्क्रूटनी के परिणामस्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत् रह सकते हैं।

4. यदि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 में अधिकतम दो विषयों में अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्क्रूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ–साथ माध्यमिक कम्पार्टमेंटल परीक्षा, 2026 में भी सम्मिलित होते हैं और स्क्रूटनी के परिणामस्वरुप वर्द्धित प्राप्तांक के आधार पर वह परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेता है, तो उस विद्यार्थी का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 का परीक्षाफल ही मान्य होगा, न कि माध्यमिक कम्पार्टमेंटल परीक्षा, 2026 का परीक्षाफल।

**विज्ञप्ति संख्या– पी.आर. 71/2026**

**परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)**